अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः–14/9/21

वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– वादीनी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2417/2 रकबा 8.2637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2418 रकबा 13.4922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2768 रकबा 1.5540 हैक्टेयर ग्राम सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उपर्युक्त खसरान की भूमि वादीनी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी का अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश नाम विमला पुत्री सुखराम दर्ज कर दिया जबकि वादीनी का वास्तविक नाम निरमा पुत्री सुखराम है तथा वादीनी के अन्य सभी दस्तावेज मतदाता आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में वादीनी का नाम निरमा दर्ज है। वादीनी के राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम में अन्तर होने के कारण वादीनी को अपनी भूमि सुधार कार्य करवाने, ऋण इत्यादि लेने में व अपनी भूमि बाबत् हकतर्कनामा का नामान्तरकरण इत्यादि दर्ज करवाने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 2417/2 रकबा 8.2637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2418 रकबा 13.4922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2768 रकबा 1.5540 हैक्टेयर में वादीनी का नाम विमला पुत्री सुखराम के स्थान पर निरमा पुत्री सुखराम के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने की डिक्री सादिर फरमावें तथा राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

वादीनी उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें भी प्रतिवादी द्वारा राजस्व वादीनी का सही नाम निरमा पुत्री सुखराम होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, वादीनी व वादीनी के सह खातेदार सुरेश पुत्र श्री माणकराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीनी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र से यह स्पष्ट है कि वादीनी का सही नाम निरमा पुत्री सुखराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए वादीनी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2417/2 रकबा 8.2637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2418 रकबा 13.4922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2768 रकबा 1.5540 हैक्टेयर ग्राम सिरमण्डी, तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम विमला पुत्री सुखराम के स्थान पर निरमा पुत्री सुखराम के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु प्रतिवादी तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 14/9/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां